

उत्तरांचल सरकार  
वित्त अनुभाग-5  
संख्या- 235/XXVII(5)/स्टाम्प/2005  
देहरादून: दिनांक 12 जुलाई, 2005  
अधिसूचना

राज्यपाल, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 78 क के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 10,00,000/- (दस लाख रुपये) की सीमा तक के ऋण प्राप्त करने के लिये बैंक के पक्ष में निष्पादित भूमि के पंजीकृत बन्धक विलेख पर प्रभार्य पंजीकरण शुल्क से छूट देने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)  
सचिव।

सं०- 235(1)/XXVII(5)/स्टाम्प/2005 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल, देहरादून।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4. उप-निदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-5 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
5. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०एस० वल्दिया)  
अनु सचिव।